Financial Assistance to Voluntary Organisations engaged in the use of Indian Languages in the field of law.

The Government of India, Ministry of Law and Justice has a scheme for giving financial assistance to voluntary organisations engaged in propagation and use of Hindi and other regional languages specified in Eighth Schedule to the Constitution of India in the field of law. The grant would be available to those organisations who are doing any of the following work in any language mentioned in the Constitution of India, namely:-

(i) Preparation and publication of original law books,

(ii) Translation and publication of standard law books or classics,

(iii) Preparation and publication of legal glossary,

(iv) Publication of Law Journals,

(v) Any other publication which may develop and propagate Hindi or other official languages of the States in the field of law, and

(vi) Additional grants would be considered for works in regional languages accompanied by its version in Hindi.

Duly filled in applications in prescribed proforma are invited for giving financial assistance to Voluntary Organisations which should reach this office by 25th September, 2008. Incomplete applications would be rejected summarily.

For additional information and for obtaining the application form, please contact:

Joint Secretary and Legislative Counsel,
Ministry of Law & Justice,
Legislative Department,
Official Languages Wing
Room No. 742, 7th Floor, 'A' Wing,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001.
Phone No. 23386229

विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने विधि के क्षेत्र में हिंदी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग और प्रचार के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना बनाई है । अनुदान उन्हीं संस्थाओं को दिया जाएगा जो भारत के संविधान में उल्लिखित किसी भाषा में निम्नलिखित में से कोई कार्य करती हैं, जैसे कि :-

1. विधि की मौलिक पुस्तकों की रचना और प्रकाशन,
2. विधि की मानक पुस्तकों या गौरव ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन,
3. विधि शब्दकोश निर्माण और प्रकाशन,
4. निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन,
5. कोई अन्य प्रकाशन जो हिंदी या किसी अन्य राजभाषा का विधि के क्षेत्र में प्रसार और प्रचार करे, और
6. प्रादेशिक भाषाओं में उन कृतियों के लिए अतिरिक्त अनुदान देने पर भी विचार किया जाएगा जिनके साथ उनका हिंदी पाठ संलग्न हो ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विहित प्रोफार्मा में सम्यक् रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो इस कार्यालय में तारीख 25 सितम्बर, 2008 तक पहुंच जाने चाहिएं । अपूर्ण आवेदन पत्र नामंजूर कर दिए जाएंगे ।

अधिक जानकारी और आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए संपर्क करें :-

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग,
राजभाषा खंड, कमरा सं. 742,
'ए' विंग. 7वां तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

फोन न. 23386229.